

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर जयपुर ।

राजस्थान राज्य के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं का विवरण

नवीनतम स्थिति दिनांक 12.09.2025

क्र.सं.	श्रेणी	देय सुविधा	पात्रता /याता का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देय है।	वर्तमान में देय सुविधाक हों से कहाँ तक	सुविधा कब से देय हुई
1	पत्रकार	निःशुल्क	डी.पी.आर से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को निगम से जारी /RFID कार्ड एवं यात्रा कपून के आधार पर	साधारण, द्रुतगामी सेमी डीलक्स ,डीलक्स बस	केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा	वर्ष –1974
2	अधिस्वीकृत पत्रकार	निःशुल्क	RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित/बोल्वों वाहनों में	राजस्थान राज्य की सीमा व दिल्ली तक यात्रा	17.6.2016
3	स्वतन्त्रता सैनानी	निःशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	समस्त वाहन श्रेणी (वातानुकूलित बसों में यात्रा दिनांक 08.01.2014 से स्वीकृत)	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	01.04.1987
4	स्वतन्त्रता सेनानी का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	कम सं. 3 के अनुसार यथावत	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	07.05.1994
5	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएँ	निःशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	कम सं. 3 के अनुसार यथावत	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	04.05.1989
6	स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	कम सं. 3 के अनुसार यथावत	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	02.03.2007

7	(i) युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने	निःशुल्क	सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण, द्रुतगामी एवं डीलक्स वाहने (डीलक्स बसों में यात्रा सुविधा दिनांक 15.04.2013 से स्वीकृत)	केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में	07-08-1999
	(ii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों /अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने					15.04.2013
	(iii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के माता-पिता					15.07.2013
8	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढ़ने वाली आदिवासी बालिकाएँ	निःशुल्क	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii / RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	राजस्थान राज्य क्षेत्र में घर से स्कूल तक आने जाने हेतु	जून, 1994
9	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	निःशुल्क	महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित हैं।	24.05.2010
10	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	06.04.2011
11	राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया में रियायत	निःशुल्क	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्रों के अनुसार निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/ रात्री	राजस्थान राज्य सीमा में	4.2.2020

12	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेता	निःशुल्क	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचित्र पत्र /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी (सुपर लक्जरी बसों के अतिरिक्त)	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	10.08.2010
13	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति नोट:-दिनांक 08.01. 2014 से राज0 पुलिस के साथ BSF, CRPF, & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया ।	निःशुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं बोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	06-07-2011
14	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	वातानुकूलित एवं बोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	30.08.2011
15	सशस्त्र सैन्य के शौर्य पदक धारक	निःशुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं बोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	20.5.2020
16	80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो (महिला/पुरुष) को मुफ्त यात्रा एवं एक सहयोगी को 50 प्रतिशत की छूट ।	स्वयं को निःशुल्क, सहयोगी को 50: प्रतिशत छूट	80 वर्ष व उससे अधिक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में	17.04.2018
17	UPSC/RPSC/RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु निःशुल्क यात्रा ।	निःशुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र,साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा ।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक	22.5.2018

18	सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को निःशुल्क यात्रा ।	निःशुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र, एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा ।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक	16.4.2021
19	राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत विभिन्न श्रेणी के युवा 1. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2. राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता, 3. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट्स 4. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एन.सी.सी. कैडेट्स 5. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत स्काउट्स एण्ड गाईड्स	निःशुल्क	1. राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्राप्ति का प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड की प्रति। 3. मूल निवास प्रमाण पत्र।	साधारण एवं द्रुतगामी	राजस्थान राज्य क्षेत्र में	01.04.2023
20	नेत्रहीन / अंधता	निःशुल्क	नेत्रहीन/अंधता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम से जारी /RFID कार्ड पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	वर्ष –1974
21	नेत्रहीन /अंधता का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	09.03.2005
22	श्रवण बाधित	निःशुल्क	प्राधिकृत विषय विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
23	विकलांग (अस्थि)/ चलन निःशक्तता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
24	मानसिक विमन्दित/मंदता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	31.08.1998

25	मानसिक विमन्दिता/मंदता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
26	कम दृष्टि निःशक्तता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
27	मानसिक रुग्णता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
28	मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	-----	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	03.08.2010
29	कुष्ठ रोग मुक्त	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	01.04.2023
30	स्वलीनता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
31	मल्टीपल स्कलरोसीस	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
32	प्रमस्तिष्क घात	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
33	क्रोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
34	बौनापन	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
35	हीमोफिलिया /अधिरक्त स्राव	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
36	तेजाब हमला पीडित	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
37	पार्किनास रोगी	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
38	बहुनिःराक्ता (अन्धता एवं बहरा)	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
39	स्पेसिफिकलर्निंग डिसेबिलीटी	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021

40	थैलसिमिया	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
41	मासपेशीय दुर्विकार से ग्रसित व्यक्ति मय एक सहयोगी (31.07.2024 से)	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
42	सिकल सैल डिजीज	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
43	वाक् एवं भाषा निःशक्ता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	05-07-2021
44	एड्सरोगी(IMMUNO COMPROMISED)	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
45	कैंसर रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	05-01-1984
46	असंकामक कुष्ठ रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	घर से अस्पताल तक आने जाने तक	01.04.1987
47	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट	-----	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
48	हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट		साधारण एवं द्रुतगामी	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु।	15.10.2014
49	कैंसर रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट	-----	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.8.2003
50	विद्यार्थी	यात्री किराया में 50% छूट	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii /परिचय पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 75 कि.मी. तक की परिधि में	1974

51	निगम के लाईसेन्स धारी कूलियों को नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा	यात्री किराया में 50% छूट	निगम द्वारा जारी कुली लाईसेन्स के आधार पर	केवल नगरीय बस सेवाओं में	निगम की नगरीय बस सेवा में निवास स्थान से बस स्टेण्ड तक	19.5.2008
52	निम्न धार्मिक पर्व/लक्ष्मी मेंलों में निगम बसों में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में छूट:-	यात्री किराया में 50% छूट	मेला स्थल तक आन जाने वाले यात्रियों को	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	01.04.2023
	1.कैलादेवी (करौली)					
	2.झील का बाडा (भरतपुर)					
	3.रामदेवरा (जोधपुर)					
	4.पुष्कर (अजमेर)					
	5.उर्स मेला (अजमेर)					
	6.खाटूश्यामजी (सीकर)					
	7.सालासर बालाजी (चूरु)					
	8.गोगामेड़ी (हनुमानगढ़)					
	9.बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर)					
	10.रणथम्भौर गणेशजी (सवाईमाधोपुर)					
	11.डिगगी कल्याण जी मेला (टोंक)					
	12.भृतहरि/पाण्डूपोल मेला (अलवर)					
	13.बुढाडा जोहड गुरुद्वारा (श्रीगंगानगर)					
	14.फाल्गुन (मुकाम) (बीकानेर)					
	15.सांवलिया सेठ –जलझूलनी एकादशी मेला (चित्तौड़गढ़)					

53	महिला	यात्री किराया में 50% छूट	महिला यात्री	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	23.06.2023
54	60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु के वरिष्ठ नागरिक	यात्री किराया में 50% छूट	60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर या निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	12.03.2024
55	आदिवासी जन जाति क्षेत्र के आदिवासियों को	यात्री किराया में 25% छूट	चुनाव आयोग का पहचान पत्र/बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र)	साधारण सेवाएं	आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्थानीय साधारण सेवा की बसों में	23.02.2008
56	लोकतंत्र सैनानी	निशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी मीसा/डी.आइ. आर/सी.आर.पी.सी, पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है	24.09.2024

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस/सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु पर उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निःशुल्क सुविधा की अनुमति दी गई :-

1	कॉस्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान	निःशुल्क		30.07.2010
2	पुलिस निरीक्षक स्वर्गीय श्री फूल मोहम्मद	निःशुल्क		20.04.2011
3	स्व. श्री दुर्गालाल कीर सुरक्षा कर्मी	निःशुल्क		13.10.2011
4	स्व. श्री निहाल सिंह का. नि.न. 185	निःशुल्क		29.12.2011
5	स्व.श्री विजेन्द्र सिंह का नि. चालक	निःशुल्क		20.06.2012